मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 10948/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/12 भोपाल, दिनांक 25/11/12

प्रति,

- समस्त संभागायुक्त,
- समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा–म.प्र.

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा के कियान्वयन में गंभीर अनियमितताओं हेतु उत्तरदायी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों को योजना से पृथक किये जाने बावत्।

ग्रामीण विकास विभाग की राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक दिनांक 20 नवम्बर 2012 को माननीय सदस्यों द्वारा ध्यान में लाया गया कि कतिपय जनपद पंचायतों में ऐसे अधिकारी मनरेगा योजना का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में उत्तरदायी ठहराया जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण प्रचलित हैं। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में कठोर रवैया अपनाते हुए तय किया है कि मनरेगा कियान्वयन में गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों को तत्काल योजना कियान्वयन से पृथक किया जावे।

1. संविदा में पदस्थ अमले में जिला/जनपद पंचायत में पदस्थ किसी भी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता का आक्षेप प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है, तब उसे संविदा सेवा से सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल हटाया जावे।
2. अन्य विभागों/संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें गंभीर अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध जिला/संभाग या राज्य स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण प्रचलित हैं, उन्हें उनके मूल विभाग में वापिस भेजे जाने की कार्यवाही की जावे।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी के रूप में योजना कियान्वयन हेतु सीधे तौर पर उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता का आक्षेप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने एवं उनके विरूद्ध

अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने पर उन्हें फील्ड की पदस्थापना से हटाया जाने हेतु प्रकरण संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजे जाने की कार्यवाही संभागायुक्त द्वारा की जावे।

4. योजना के कार्यों में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की जांच हेतु गठित समिति में प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्त शाखा का सक्षम स्तर का अधिकारी अनिवार्यतः शामिल किया जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही एक माह की अवधि में पूर्ण कर महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में स्वच्छ छवि के अधिकारी/कर्मचारियों की ही सहभागिता सुनिश्चित की जावे। इस कार्यवाही की मॉनीटरिंग आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा की जाकर संलग्न प्रपत्र में 31 दिसम्बर 2012 तक की गई कार्यवाही की प्रगति दिनांक 15 जनवरी 2013 तक संकलित कर रखी जावे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

24/11/12

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 10949/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/12 भोपाल, दिनांक 25/11/12

प्रतिलिपिः–

1. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।

प्रति,

1 विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2 निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र

महात्मा गांधी नरेगा के कियान्वयन में गंभीर अनियमितताओं हेतु उत्तरदायी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों को हटाये जाने बावत्– प्रगति प्रतिवेदन (31 दिसम्बर 2012 तक की स्थिति में)

क.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	प्रतिनियुक्ति /संविदा	जांच समिति में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम	पाई गई जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	मनरेगा कियान्वयन से पृथक करने हेतु की गई कार्यवाही	विशेष
1	2	3	4	5	6	7

दिनांक.....

(हस्ताक्षर व सील)

संभाग/जिलास्तर के सक्षम अधिकारी